रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-21112025-267889
CG-DL-E-21112025-267889

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 773]	नई दिल्ली, शुक्रवार, नवम्बर 21, 2025/कार्तिक 30, 1947
No. 773]	NEW DELHI, FRIDAY, NOVEMBER 21, 2025/KARTIKA 30, 1947

वित्त मंत्रालय

(व्यय विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 20 नवम्बर, 2025

सा.का.नि. 859(अ).— चूंकि पहचान स्थापित करने के लिए आधार संख्या का उपयोग लोगों को सुविधाजनक और निर्बाध तरीके से सब्सिडी, लाभ और सेवाएं प्राप्त करने में सक्षम बनाता है, पहचान स्थापित करने के लिए अनेक दस्तावेजों की आवश्यकता को समाप्त करता है, प्रक्रियाओं को सरल बनाता है और पारदर्शिता और दक्षता को बढ़ावा देता है।

और जबकि इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, भारत सरकार ने भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (यूआईडीएआई) के साथ परामर्श के बाद दिनांक 17.11.2025 के अपने पत्र संख्या ईएफ.सं. 13(2)/2022-ईजी-II के माध्यम से सार्वजनिक वित्त प्रबंधन प्रणाली (पीएफएमएस) प्रभाग, महालेखानियंत्रक का कार्यालय को सुशासन (समाज कल्याण, नवाचार, ज्ञान) नियम, 2020 (जिसे इसके पश्चात उक्त नियम के रूप में संदर्भित किया गया है) के लिए आधार प्रमाणीकरण के नियम 3 के उप-नियम (1) के अंतर्गत निर्धारित उद्देश्यों के लिए अनुमति दी थी कि उक्त एजेंसी को पीएफएमएस के माध्यम से भुगतान प्राप्त करने वाले लाभार्थियों, विक्रेताओं और सरकारी कर्मचारियों की पहचान स्थापित करने, पीएफएमएस एप्लिकेशन के माध्यम से उनके भुगतान और योजना की जानकारी प्राप्त करने, हां/नहीं या/और ईकेवाईसी प्रमाणीकरण

सुविधाओं का उपयोग करने के लिए, स्वैच्छिक आधार पर आधार प्रमाणीकरण करने और आधार संख्या धारक की पहचान स्थापित करने के लिए प्रमाणीकरण के दौरान आधार संख्या के उपयोग की अनुमति दिये जाने तथा इसे आधार (वित्तीय और अन्य सब्सिडी, लाभों और सेवाओं का लक्षित परिदान) अधिनियम, 2016 (जिसे इसके पश्चात अधिनियम के रूप में संदर्भित किया गया है) की धारा 4 की उप-धारा (4) के खण्ड (ख) के उप-खण्ड (ii) के साथ पठित उक्त नियमों के नियम 5 के तहत इसे अधिसूचित करने की अनुमति दी जा सकती है।

और जबकि, आधार प्रमाणीकरण का उपयोग पीएफएमएस मोबाइल एप्लीकेशन (जिसे इसके पश्चात उक्त उद्देश्य के रूप में संदर्भित किया गया है) के लिए डिजिटल प्लेटफार्मों के उपयोग के लिए किया जाएगा, जैसा कि उक्त नियमों के नियम 3 के उप-नियम (1) के अंतर्गत उल्लेख किया गया है और उक्त उद्देश्य के लिए आधार प्रमाणीकरण का प्रयोग स्वैच्छिक आधार पर होगा और उक्त एजेंसी केवल पीएफएमएस मोबाइल एप्लीकेशन के लिए आधार प्रमाणीकरण करेगी।

अतएव, अब इस अधिनियम की धारा 4 की उप-धारा (4) के खण्ड (ख) के उप-खण्ड (ii) के साथ पठित उक्त नियमों के नियम 5 के अनुसरण में, उक्त एजेंसी एतदद्वारा निम्नलिखित को अधिसूचित करती है, अर्थात्:

1. (1) एजेंसी, इस अधिनियम में किए गए प्रावधान के अनुसार, इसके प्रमाणीकरण के प्रयोजन के लिए आधार संख्या धारक की सहमति प्राप्त करेगी।

(2) उक्त नियमों के नियम 3 के उपनियम (2) के अनुसार, आधार प्रमाणीकरण स्वैच्छिक आधार पर है। एजेंसी आधार संख्या धारक को पहचान के वैकल्पिक और व्यवहार्य तरीकों के बारे में सूचित करेगी तथा आधार संख्या धारक को आधार प्रमाणीकरण कराने से इंकार करने, अथवा असमर्थ होने की स्थिति में किसी भी सेवा से मना नहीं करेगा, अर्थात:-

(क) प्रयोगकर्ता बैंक खाते के साथ पंजीकृत मोबाइल नंबर पर भेजे गए ओटीपी के साथ बैंक खाता संख्या प्रदान करके प्रमाणीकरण कर सकता है।

2. यह अधिसूचना सरकारी राजपत्र में इसके प्रकाशन की तारीख से प्रभावी होगी।

[फा. सं. 4/(10)/पीएफ़एमएस/2025]

डॉ. सज्जन सिंह यादव, अपर सचिव

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Expenditure)

NOTIFICATION

New Delhi, the 20th November, 2025

G.S.R. 859(E).— Whereas the use of Aadhaar number to establish identity enables individuals to receive subsidies, benefits and services in a convenient and seamless manner, obviates the need for multiplicity of documents to establish identity, simplifies processes and promotes transparency and efficiency.

And whereas the Ministry of Electronics and Information Technology, Government of India, after consultation with the Unique Identification Authority of India (UIDAI), had allowed vide its letter no. eF. No. 13(2)/2022-EG-II dated 17.11.2025 to the Public Finance Management System (PFMS) Division, Office of CGA for the purposes prescribed under sub-rule (1) of rule 3 of the Aadhaar Authentication for Good Governance (Social Welfare, Innovation, Knowledge) Rules, 2020 (hereinafter referred to as the said rules) that the said Agency may be allowed performance of Aadhar authentication, on a voluntary basis, to establish the identity of beneficiaries, vendors and government employees who receive payments through PFMS, to access their payment and scheme information through PFMS application, using Yes/No or/and eKYC authentication facilities and be permitted the use of Aadhaar number during authentication for establishing identity of Aadhaar number holder and notify the same under rule 5 of the said rules read with sub-clause (ii) of clause (b) of sub-section (4) of section 4 of the Aadhaar (Targeted Delivery of Financial and Other Subsidies, Benefits and Services) Act, 2016 (hereinafter referred to as the Act).

And whereas, the Aadhaar authentication shall be performed for usage of digital platforms for PFMS Mobile Application (hereinafter referred to as the said purpose) as prescribed under sub-rule (1) of rule 3 of the said rules and the performance of Aadhaar authentication for the said purpose shall be on voluntary basis and that the said Agency shall perform the Aadhaar authentication only for the PFMS Mobile Application.

Now, therefore, in pursuance of rule 5 of the said rules read with sub-clause (ii) of clause (b) of sub-section (4) of section 4 of the Act, the said Agency hereby notifies the following, namely: —

1. (1) Agency, as provided in the Act, shall obtain the consent of the Aadhaar number holder for the purpose of authentication herein.

(2) As per sub-rule (2) of rule 3 of the said rules, Aadhaar authentication is on voluntary basis. Agency shall inform the Aadhaar number holder of alternate and viable means of identification and shall not deny any service to the Aadhaar number holder for refusing to, or being unable to, undergo Aadhaar authentication, namely:—

(a) User may authenticate by providing Bank account number along with OTP sent to registered mobile number with Bank account.

2. This notification shall come into effect from the date of its publication in the official Gazette.

[F. No. 4/(10)/PFMS/2025]

Dr. SAJJAN SINGH YADAV, Addl. Secy. (PF-S)

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.
AMIT KUMAR JAISWAL Digitally signed by AMIT KUMAR JAISWAL Date: 2025.11.21 22:01:00 +05'30'